[23/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2280]

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक – 2280 प्रश्नांश (ग) का परिशिष्ट "अ"

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव

बिन्दु कमांक (ग) की जानकारी

पंजीकृत संचालित निजी अस्पताल एवं पैथोलॉजी जाचं केन्द्र प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत	कार्यवाही
1	श्रीमति प्रियंका जैन पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जैन बिलाला मिल के पीछे अशोकनगर	प्रार्थिया के गलत ईलाज एवं गलत रिपोर्ट जांच के कारण प्रार्थिया के जीवन मे संकट उत्पन्न करने के संबंध में।	डॉ. ओ.पी.गुप्ता निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अशोकनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ता को वार वार सूचित करने के बाद भी कथन देने हेतु उपस्थित नही हुआ जांच अधिकारी के मतानुसार शिकायत असत्य एवं झूठी पाई गई।
2	श्रीमति बाईसाहब राव देशराज सिंह अध्यक्ष, जिला पंचायत अशोकनगर	भोपाल पैथोलॉजी एवं एक्सरे सेन्टर पर कार्यवाही करने बावत ।	जांच उपरांत पाया गया कि अशोकनगर जिले में भोपाल पैथोलॉजी एवं एक्सरे सेंटर संचालित एवं पंजीकृत नही है। शिकायत असत्य है ।
3	श्री बलराम यादव अशोकनगर	अशोका हॉस्पिटल की जांच करने के संबंध में।	अशोका हॉस्पिटल की जांच उपरांत शिकायत असत्य पाई गई।
4	श्री किशोर मीना पिता श्री दामोदर मीना ग्राम रावसर जिला अशोकनगर	एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की गलत रिपोर्ट के चलते मेरी मां की जान जा सकती थी।	डॉ. समता जैन, चिकित्सा अधिकारी को जांच सौंपी गई है जांच प्रचलन में है ।
5	श्री वृन्दावन राय निवासी ग्राम देरजा अशोकनगर	राजश्री नर्सिंग होम द्वारा सीजर के लिये तय हुई राशि 25000/–से अधिक राशि वसूल किये जाने के संबंध में।	डॉ. बी.एल.टैगोर, आर.एम.ओ. एवं डॉ. प्रशान्त दुबे चिकित्सा अधिकारी को जांच सौंपी गई है जांच प्रचलन में है ।

11 July 2019

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)